



The Uttar Pradesh Prohibition of Ragging in Educational Institutions Act,  
2010

Act 14 of 2010

Keyword(s):

Educational Institution, Head of Institution, Ragging, Student

Amendment appended: 1 of 2011

**DISCLAIMER:** This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-1, खण्ड (क)  
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 19 मार्च, 2010  
फाल्गुन 28, 1931 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 400/79-वि-1-10-1(क)-11-2010

लखनऊ, 19 मार्च, 2010

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध विधेयक, 2010 पर दिनांक 18 मार्च, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2010 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम, 2010

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2010)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध करने और उससे सम्बन्धित एवं आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत के संविधान के इकसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम ब्रिंजाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम, 2010 कहा जाएगा।

संक्षिप्त नाम

परिभाषाएं

7 जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,—

(क) “मण्डलायुक्त” का तात्पर्य ऐसे मण्डलायुक्त से है जिसकी अधिकारिता में संस्था स्थित है और इसके अन्तर्गत अपर आयुक्त भी हैं;

(ख) “शैक्षणिक संस्था” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में स्थित व किसी भी प्रकार की शिक्षा प्रदान कर रहे किसी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या किसी अन्य संस्था, जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, से है और जिसके अन्तर्गत कोई अनाथालय या कोई बोर्डिंग या कोई हॉस्टल या कोई ट्यूटोरियल संस्था या कोई कोचिंग संस्था या उससे सम्बद्ध कोई अन्य परिसर भी है;

(ग) “संस्था का प्रधान” का तात्पर्य किसी विश्वविद्यालय के कुलपति, संकायाध्यक्ष, किसी संस्था के निदेशक या प्राचार्य या संस्था के प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी किसी अन्य व्यक्ति से है;

(घ) “रैगिंग” का तात्पर्य किसी विद्यार्थी से कोई ऐसा कार्य करने या ऐसी कृत्य का सम्पादन करने, के लिए कहे जाने, शब्दों, इशारों या संकेत द्वारा किसी ऐसे कार्य को कराने, प्रलोभन देने, विवश करने, दबाव डालने में है जिससे किसी भी प्रकार से मानव गरिमा का ह्रास होता हो या उसका व्यक्तित्व दूषित होता हो या जिससे वह उपहास, अभित्रास, अन्यायपूर्ण नियन्त्रण, अन्यायपूर्ण परिरोध से पीड़ित होता हो और उसे क्षति पहुँचाने या उसे किसी प्रकार की धमकी या अभित्रास देने, अन्यायपूर्ण नियन्त्रण, अन्यायपूर्ण परिरोध करने या क्षति पहुँचाने या उस पर आपराधिक बल प्रयोग करने से है;

(ङ) “विद्यार्थी” का तात्पर्य किसी ऐसे विद्यार्थी से है जो किसी शैक्षणिक संस्था में अपना अध्ययन कर रहा हो/रही हो।

रैगिंग का प्रतिषेध

3-किसी शैक्षणिक संस्था के भीतर या उसके बाहर रैगिंग प्रतिषिद्ध है।

छात्र का निष्कासन/ शिकायत दर्ज किया जाना

4-(1) जब कभी कोई छात्र या यथास्थिति माता-पिता या अभिभावक या किसी शैक्षणिक संस्था का कोई अध्यापक रैगिंग के सम्बन्ध में शैक्षणिक संस्था के प्रधान को लिखित रूप में शिकायत करे तो सम्बन्धित शैक्षणिक संस्था का प्रधान शिकायत प्राप्त होने के सात दिन के भीतर शिकायत में उल्लिखित मामले की जाँच करेगा और यदि प्रथमदृष्टया यह सत्य पाया जाता है तो ऐसे छात्र को निष्कासित कर देगा जो अपराध का अभियुक्त हो और ऐसे क्षेत्र, जिसमें शैक्षणिक संस्था स्थित हो, में अधिकारिता रखने वाले पुलिस थाने में शिकायत को अग्रतर कार्यवाही हेतु तत्काल भेज देगा।

(2) जहाँ शैक्षणिक संस्था के प्रधान द्वारा जाँच किये जाने पर यह सिद्ध हो जाये कि उपधारा (1) के अधीन प्राप्त शिकायत में प्रथमदृष्टया कोई तथ्य नहीं है वहाँ शिकायतकर्ता को लिखित रूप में इस तथ्य से अवगत करा देगा।

रैगिंग के लिए शास्ति

5-जो कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी शैक्षणिक संस्था के भीतर या उसके बाहर रैगिंग करता है, उसमें भाग लेता है, दुष्प्रेरित करता है या उसका प्रचार करता है, उसे दो वर्ष तक के किसी भी प्रकार के कारावास या रूपये दस हजार तक के जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

छात्र का विवर्जन

6-धारा 5 के अधीन अपराध के लिए दोष सिद्ध किसी छात्र को विवर्जन के दिनांक से ऐसी अवधि के लिए जो पाँच वर्ष तक हो सकती है, किसी शैक्षणिक संस्था में दाखिल नहीं किया जायेगा।

अपील

7-धारा 4 के अधीन निष्कासित या धारा 6 के अधीन विवर्जित कोई छात्र सम्बन्धित अपील प्रभारी को आदेश के दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर विहित रीति से अपील कर सकता है और ऐसी अपील में अपील प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

8-माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्रदान करने वाले किसी स्कूल या विद्यालय के मामले में मण्डलायुक्त, किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के मामले में सम्बद्ध विश्वविद्यालय का कुलपति और किसी विश्वविद्यालय के मामले में कुलाधिपति धारा 4 के अधीन किसी छात्र के निष्कासन आदेश या धारा 6 के अधीन विवर्जन आदेश के विरुद्ध अपील प्राधिकारी होंगे।

अपील प्राधिकारी

9-इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियम में या इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियम के आधार पर प्रभाव रखने वाले किसी लिखत में अन्तर्विष्ट किसी बात से संगत होते हुए भी इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

अध्यायी प्रभाव

10-राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

नियम बनाने की शक्ति

11-(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, कर सकती है जो कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

कठिनाइयों को दूर किया जाना

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के पश्चात् इस उपधारा के अधीन कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

#### उद्देश्य और कारण

रैगिंग एक मानवीय उत्पीड़न का कृत्य है। यह शैक्षणिक संस्थाओं में सर्वत्र व्याप्त है। वर्तमान परिदृश्य में रैगिंग सभ्य समाज में एक अभिशाप है। कतिपय राज्यों यथा पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल और असम द्वारा विश्वविद्यालयों और व्यावसायिक संस्थाओं में रैगिंग के निवारण के लिए पहले ही विधि बना ली गयी है। इस राज्य में रैगिंग ने अपने निकृष्टतम रूप में सिर उठा रखा है और उसे कुचलना आवश्यक हो गया है। अतएव, विश्वविद्यालयों और व्यावसायिक संस्थाओं को रैगिंग के रूप में सामाजिक अन्याय, मानसिक, शारीरिक और अन्य प्रकार के उत्पीड़न से मुक्त करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि एक विधि बनाकर उक्त शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग को प्रतिषिद्ध करने हेतु प्रावधान किया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध विधेयक, 2010 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,  
प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा,  
सचिव।

No. 400(2)/LXXIX-V-1-10-1(Ka)-11-2010

Dated Lucknow, March 19, 2010.

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Shaikshanik Sansthaon mein Ragging Ka Pratishedh Adhiniyam, 2010 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 14 of 2010) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 18, 2010.

THE UTTAR PRADESH PROHIBITION OF RAGGING IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS ACT, 2010

(U.P. ACT NO. 14 OF 2010)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to provide for the prohibition of ragging in educational institutions and for matter connected therewith or incidental thereto

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows :-

- Short title 1. This Act may be called the Uttar Pradesh Prohibition of Ragging in Educational Institutions Act, 2010.
- Definitions 2. In this Act unless the context otherwise requires.
- (a) "Divisional Commissioner" means the Divisional Commissioner within whose jurisdiction the institution is situated and includes an Additional Commissioner:
- (b) "educational institution" means a school, a college, a University or any other institution by whatever name called, situated in Uttar Pradesh, imparting any type of education and includes an orphanage or a boarding or a hostel or a tutorial institution or a coaching institution or any other premises attached thereto:
- (c) "Head of institution" means the Vice Chancellor of a University, the Dean of Faculty, the Director of an institution or the Principal, or any other person responsible for the management of the institution:
- (d) "ragging" means asking a student to do any act or perform something, causing, inducing, compelling or forcing a student by way of either by words or sign or signal to do any act which detracts from human dignity or violates his person in any way or exposes him to ridicule, intimidating, wrongfully restraining, wrongfully confining and injuring him or holding out to him any threat or intimidation, wrongful restraint, wrongful confinement, injury or the use of criminal force.
- (e) "Student" means a student who has been pursuing his/hc studies in an educational institution.
- Prohibition of ragging 3. Ragging within or outside any educational institution is prohibited.
- Expulsion of student/ lodging of complaint 4. (1) Whenever any student or as the case may be the parent or guardian, or a teacher of an educational institution complains in writing of ragging to the Head of educational institution, the Head of educational institution concern shall, within seven days of the receipt of the complaint, enquire into the matter mentioned in the complaint and if, *prima facie*, it is found true, expel the student who is accused of the offence, and shall immediately forward the complaint to the police station having jurisdiction over the area in which the educational institution is situated, for further action.
- (2) Where, on an enquiry by the Head of educational institution, it is proved that there is no substance, *prima facie* in the complaint received under sub-section (1), he shall intimate the fact, in writing, to the complainant.

5. Whoever directly or indirectly commits, participates abets or propagates ragging within or outside any educational institution shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years or with fine which may extend to ten thousand rupees or with both. Penalty for ragging

6. Any student convicted of an offence under section 5 shall not be admitted in any educational institution for a period which may extend to five years from the date of order of debarring. Debarring of Student

7. Any student expelled under section 4 or debarred under section 6. may prefer an appeal in the prescribed manner to the appellate authority within a period of thirty days, from the date of order and the decision of the appellate authority in such appeal shall be final. Appeal

8. In the case of a school or a college imparting education up to secondary level the Divisional Commissioner, in the case of an affiliated degree college the Vice-Chancellor of the affiliating University and in case of a University the Chancellor shall be the appellate authority against the order of expulsion of a student under section 4 or of debarring under section 6. Appellate authority

9. The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any enactment other than this Act, or any instrument having effect by virtue of any enactment other than this Act. Overriding effect

10. The State Government may, by notification make rules for carrying out the purposes of this Act. Power to make rules

11. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by notified order, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as appears to it to be necessary or expedient, for removing the difficulty : Removal of difficulties

Provided that no order shall be made under this sub-section after a period of two years from the date of commencement of this Act. Appeal

(2) Every order made under this section shall, as soon as may, after it is made, be laid before each House of the State Legislature.

#### STATEMENT OF OBJECT AND REASONS

Ragging is an act of human torture. It is widely prevalent in educational institutions. In the present scenario, ragging is a curse in the civilized society. Certain States such as West Bengal, Maharashtra, Kerala, and Assam have already enacted laws for prevention of ragging in the universities and professional institutions. In this State, ragging is raising head in its worse form and is needed to be crushed. In order, therefore, to make the universities and the professional institutions free from social injustice, mental, physical and other kinds of harassment in the form of ragging, it has been decided to make a law to provide for prohibiting ragging in the said educational institutions.

The Uttar Pradesh Prohibition of Ragging in Educational Institutions Bill, 2010 is introduced accordingly.

By order,  
P.V. KUSHWAHA  
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1221 राजपत्र(हि०) 2010--(2602)--597 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 243 सा० विधा०-2010--(2603)--850 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-1, खण्ड (क)  
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 04 मार्च, 2011

फाल्गुन 13, 1932 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार  
विधायी अनुभाग-1

संख्या 301./79-वि०-1-11-1(क)1-2011

लखनऊ, 04 मार्च, 2011

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2011 पर दिनांक 03 मार्च, 2011 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2011 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 2011  
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2011)

जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।

उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम, 2010 का संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के वासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) इसे 1 दिसम्बर, 2010 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

उत्तर प्रदेश  
अधिनियम संख्या  
14 सन् 2010 की  
धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम, 2010 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खण्ड (घ) में,—

(क) शब्द "अन्यायपूर्ण नियंत्रण" जहां कहीं भी आयें हों, के स्थान पर शब्द "सदोष अवरोध" रख दिये जायेंगे ;

(ख) शब्द "अन्यायपूर्ण परिरोध" जहां कहीं भी आयें हों, के स्थान पर शब्द "सदोष परिरोध" रख दिये जायेंगे;

निरसन एवं अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रागिंग का प्रतिषेध (संशोधन) अध्यादेश, 2010 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश  
अध्यादेश  
संख्या 1 सन्  
2010

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

### उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम, 2010 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14, सन् 2010) दिनांक 19 मार्च, 2010 को अधिसूचित किया गया था। इसके पश्चात् राज्यपाल सचिवालय द्वारा यह अपेक्षा की गयी थी कि उक्त अधिनियम के हिन्दी पाठ की धारा 2 के खण्ड (घ) में, कतिपय शब्दों को प्रतिस्थापित करने हेतु संशोधन किया जाय जिससे कि उन्हें विधि शब्दावली के अनुरूप रखा जा सके। सम्यक् विचारोपरान्त यह विनिश्चय किया गया कि राज्यपाल सचिवालय द्वारा अपेक्षित शब्दों को प्रतिस्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम के हिन्दी पाठ को संशोधित किया जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था। राज्यपाल द्वारा दिनांक 8 दिसम्बर, 2010 को उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1, सन् 2010) प्रख्यापित किया गया।

तदनुसार यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,  
के०के० शर्मा,  
प्रमुख सचिव।

No. 301 (2)/LXXIX-V-1-11-1 (Ka) 1-2011

Dated, Lucknow March 04, 2011

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Shaikshanik Sansthaon Me Ragging Ka Pratishedh (Sanshodhan) Adhiniyam, 2011 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 1 of 2011) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 03, 2011 :-



THE UTTAR PRADESH PROHIBITION OF RAGGING IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS (AMENDMENT) ACT, 2011

(U.P. Act No. 1 of 2011)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh Prohibition of Ragging in Educational Institutions Act, 2010.

IT IS HEREBY enacted in the sixty-second year of the Republic of India as follows :-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Prohibition of Ragging in Educational Institutions (Amendment) Act, 2011.

Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force on December 8, 2010.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Prohibition of Ragging in Educational Institutions Act, 2010 hereinafter referred to as the Principal Act in the Hindi version in clause (d),-

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 14 of 2010

(a) for the words "अन्यायपूर्ण नियंत्रण" wherever occurring, the words "सदोष अवरोध" shall be substituted;

(b) for the words "अन्यायपूर्ण परिरोध" wherever occurring, the words "सदोष अवरोध" shall be substituted.

U.P. Ordinance no. 1 of 2010

3 (1) The Uttar Pradesh Prohibition of Ragging in Educational Institutions (Amendment) Ordinance, 2010 is hereby repealed.

Repeal and saving

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Prohibition of Ragging in Educational Institutions Act, 2010 (U.P. Act no. 14 of 2010) was notified on March 19, 2010. Thereafter it was required by the Governor's Secretariat to amend clause (d) of section 2 of the Hindi version of the said Act to substitute certain words so as to bring them in conformity with the Legal Glossary. After due consideration it was decided to amend the Hindi version of the said Act to substitute the words required by Governor's Secretariat.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary. The Uttar Pradesh Prohibition of Ragging in Educational Institutions (Amendment) Ordinance, 2010 (U.P. Ordinance no. 1 of 2010) was promulgated by the Governor on December 8, 2010.

This Bill is introduced accordingly to replace the aforesaid Ordinance.

By order.

K.K. SHARMA,  
Pramukh Sachiv.